न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
22/2020	दावा 88 RTA	19.02.2020	19.02.2020

मोहम्मदइलियास खां पुत्र भालू खां जाति कायमखानी निवासी सहजूसर तहसील चूरू —वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू —प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. वादी स्वयं उपस्थित।
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया कि वादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 314/201 तादादी 0.1265 हैक्टेयर व खसरा नं. 316/212 तादादी 2.7822 हैक्टेयर रोही गिनड़ी पट्टा लोहसना तहसील चूरू में स्थित चली आ रही है। वादी का सही नाम मोहम्मदइलियास खां पुत्र भालूखां है जबकि उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी में वादी का नाम इलियास पुत्र भालूखां दर्ज है जो गलत दर्ज चला आ रहा है। वादी के पासपोर्ट व ड्राईविंग लाईसेन्स में भी उसका नाम मोहम्मदइलियास खां पुत्र भालू खां अंकित है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी में वादी/प्रार्थी का नाम शुद्ध करवाने की कृपा करवावें।

वादी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज को जवाब हेतु तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी पैरोकार राज ने उपस्थित होकर दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया। पैरोकार राज द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं करने पर उभय पक्षकारों को सुना गया। वादी ने निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि वादी की पैतृक खातेदारी की है जो वादी को विरासतन, हकत्याग एवं उपहार पत्र के जरिये प्राप्त हुई है। उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादी का परिवार में लाड़ प्यार से बोला जाने वाला नाम इलियास दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का दस्तावेजी नाम मोहम्मदइलियास खां है। राजस्व रिकार्ड में वादी के गलत दर्ज नाम के कारण वादी को काफी कठिनाई व असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम इलियास पुत्र भालू खां के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम मोहम्मदइलियास खां पुत्र भालू खां दर्ज करने का आदेश फरमावें। पैरोकार राज ने दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन करते हुए जाहिर किया कि वादी का नाम शुद्ध किये जाने से राजस्थान सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उभय पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खसरा नं. 314/201,

316/212 तादादी क्रमशः 0.1256, 2.7822 कुल तादादी 2.9087 हैक्टेयर रोही ग्राम गिनड़ी पट्टा लोहसना में वादी का नाम इलियास पुत्र भालू खां 1073/1080 हिस्सा जाति कायमखानी निवासी सहजूसर खातेदार दर्ज है जिसको वादी शुद्ध करवाना चाहता है। उपरोक्त वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 के अनुसार यह कृषि भूमि वादी की पैतृक खातेदारी की है। नकल नामान्तरकरण संख्या 671 दिनांक 07.01.2019, 673 दिनांक 05.03.2019 व 678 दिनांक 07.06.2019 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त कृषि भूमि वादी को जरिये विरासतन, हकत्याग व उपहार पत्र के प्राप्त हुई है। वादी के पासपोर्ट सं. M146105 व ड्राईविंग लाईसेन्स नं. RJ10 20070034636 आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का सही नाम मोहम्मदइलियास खां पुत्र भालू खां अंकित है। वादी की ओर से तहसील कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक श्री जावेद खान ने भी उपस्थित होकर वादी की पहचान करते हुए कथन किया कि मैं वादी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। वादी का सही व दस्तावेजी नाम मोहम्मदइलियास खां पुत्र भालू खां है। राजस्थान सरकार की ओर से पैरोकार राज ने कथन किया है कि यदि दावा वादी स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 314/201, 316/212 तादादी क्रमशः 0.1256, 2.7822 कुल तादादी 2.9087 हैक्टेयर रोही ग्राम गिनड़ी पट्टा लोहसना में वादी का नाम इलियास पुत्र भालू खां 1073/1080 हिस्सा जाति कायमखानी निवासी सहजूसर खातेदार दर्ज है जिसको वादी शुद्ध करवाना चाहता है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में अपने पासपोर्ट सं. M146105 व ड्राईविंग लाईसेन्स नं. RJ10 20070034636 आदि की प्रतियां पेश की हैं जिनमें वादी का सही नाम मोहम्मदइलियास खां पुत्र भालू खां अंकित है। दावा में प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है तथा वादी की पहचान तहसील कार्यालस में कार्यरत वरिष्ठ सहायक श्री जावेद खान द्वारा भी की गई है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी वादगत कृषि भूमि में 1073/1080 हिस्सा हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम इलियास गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में सही नाम मोहम्मदइलियास खां दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों से वादी का दावा स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 314/201, 316/212 तादादी क्रमशः 0.1256, 2.7822 कुल तादादी 2.9087 हैक्टेयर रोही ग्राम गिनड़ी पट्टा लोहसना में वादी का नाम इलियास पुत्र भालू खां 1073/1080 हिस्सा जाति कायमखानी निवासी सहजूसर खातेदार के स्थान पर मोहम्मदइलियास खां पुत्र भालू खां 1073/1080 हिस्सा जाति कायमखानी निवासी सहजूसर खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

मोहम्मदइलियास खां पुत्र भालू खां जाति कायमखानी निवासी सहजूसर तहसील चूरू
–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 22 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री मोहम्मदइलियास खां वादी स्वयं, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 314/201, 316/212 तादादी क्रमशः 0.1256, 2.7822 कुल तादादी 2.9087 हैक्टेयर रोही ग्राम गिनड़ी पट्टा लोहसना में वादी का नाम इलियास पुत्र भालू खां 1073/1080 हिस्सा जाति कायमखानी निवासी सहजूसर खातेदार के स्थान पर मोहम्मदइलियास खां पुत्र भालू खां 1073/1080 हिस्सा जाति कायमखानी निवासी सहजूसर खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 19 माह फरवरी सन् 2020 को जारी की गई।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू